27.10.23

II—156

~~03.11.23~~ C.J.

08.11.23

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

MJCR/1067/2023

Date of Order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21.11.2023	राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओं आवदेक जुबेर खान सहित श्री अजय भांगे अधि0 उप0। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 पर तर्क/केस डायरी की प्रतिक्षार्थ हेतु नियत है। थाना कोतवाली छिंदवाडा से अपराध क्रमांक 595/2023 धारा 295(ए) भादवि के केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त। इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर अंतर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है। आवेदक ने उक्त आवेदन पत्र प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल आई0 फोन 13 आई0एम0ई0आई0 353504865451169 को सुपुदर्गी में दिये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उक्त मोबाईल पुलिस के द्वारा जप्त किया गया है उक्त संपत्ति की उसे आवश्यकता है और थाने में वह खुली अवस्था में पड़ी है जिसमें खराबी होने की भी संभावना है तथा वह न्यायालय के द्वारा अधिरोपित सुपुर्दगीनामा की समस्त शर्तो को पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उपरोक्त जप्तशुदा संपत्ति उसे अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाये। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि थाना कोतवाली छिंदवाडा से अपराध क्रमांक 595/23 धारा 295(ए) भादवि अतंर्गत एप्पल कंपनी का मोबाईल आई0 फोन 13 जिसका आई0एम0ई0आई0 353504865451169 एवं 353504865024966 को जप्त किया गया है। साथ ही प्रतिवेदन मे इस बात का उल्लेख किया गया है कि कि जप्तशुदा मोबाईल आरोपी को सुपुर्दनामा पर दिया जाता है तो मोबाईल मे स्टोर डाटा को नष्ट कर सकता है। अभियोजन के द्वारा उक्त संपत्ति को सुपुर्दगी में दिए जाने में आपत्ति व्यक्त करते हुये व्यक्त किया गया। आवेदक की ओर से मोबाईल के स्वामित्व के संबध में राजा टैलेकाम छिदंवाड़ा के द्वारा प्रदत्त बिल की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से आवेदन उक्त जप्तशुदा मोबाईल का स्वामी दर्शित होता है तथा उक्त मोबाईल के संबंध मे किसी अन्य के द्वारा कोई दावा भी नही किया गया है अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्त **मोबाईल आई0 फोन 13 जिसका आई0एम0ई0आई0 353504865451169** को आवेदक द्वारा संतुष्टिप्रद **45,000 /— रूपए (पैतालीस हजार रूपये) का स्वयं के छायाचित्र युक्त सुपुर्दनामा प्रस्तुत किये जाने पर थाना प्रभारी उसमे स्थित डाटा को सुरक्षित करने के उपरांत आगामी न्यायालीन आदेश पर्यन्त सुरक्षित और अहस्तांतरित रखने हेतु उक्त** जप्तशुदा सम्पत्ति को आवेदक की अभिरक्षा में निम्नलिखित शर्तो के पालन में आवश्यक कार्यवाही उपरांत	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

प्रदान किया जाए :—

1—आवेदक प्रकरण के न्यायिक निराकरण तक किसी भी रूप में न्यायालय की अनुमति के बिना मोबाईल को अन्य किसी को अंतरित नहीं करेगा।

2—न्यायालय जब भी आदेश देगा आवेदक स्वयं अपने दायित्व व व्यय पर निर्दिष्ट स्थान पर उक्त संपत्ति को प्रस्तुत करेगा

केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण से संबंधित कार्यवाही समाप्त कर उसका परिणाम सी.आई.एस मे दर्ज कर उसे रिमांड पत्रावली मे संलग्न किया जावे।

शिव मोहर सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

पश्चात

उक्त आदेश के पालन मे आवेदक/सुपुर्ददार **जुबेर खान पिता मोईन खान उम्र करीब 19** वर्ष निवासी प्रियदर्शनी कालोनी छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा म0प्र0 के द्वारा **जप्त मोबाईल आई0 फोन 13 जिसका आई0एम0ई0आई0 353504865451169** सूपूर्दगी के संबंध में आवेदक/सुपुर्ददार **द्वारा संतुष्टिप्रद 45,000/—रूपए (रूपये पैतालीस हजार)** का सुपूर्दनामा प्रस्तुत किया।

सुपुर्ददार की पहचान श्री कृष्णाराव अधिवक्ता, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा द्वारा की गई।

जप्तशुदा मोबाईल रिलीज आदेश जारी किया जावे।

शिव मोहर सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

GCPB—45—DCGCPB—10-6-21—5,00,000.